

प्रबन्धक,

पुवार्यो पब्लिक स्कूल पुवार्यो,

विकास क्षेत्र-पुवार्यो, शाहजहाँपुर।

विषय:- पुवार्यो पब्लिक स्कूल पुवार्यो विकास क्षेत्र-पुवार्यो, शाहजहाँपुर का नाम बदलकर पुवार्यो पब्लिक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पुवार्यो विकास क्षेत्र-पुवार्यो, शाहजहाँपुर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली की अध्यक्षता में मण्डलीय मान्यता की बैठक दिनांक 02.05.2025 में लिये गये निर्णय के क्रम में पुवार्यो पब्लिक स्कूल पुवार्यो विकास क्षेत्र-पुवार्यो, शाहजहाँपुर का नाम बदलकर पुवार्यो पब्लिक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पुवार्यो विकास क्षेत्र-पुवार्यो, शाहजहाँपुर किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि किसी भी दशा में विद्यालय की भौतिक स्थिति एवं स्थान परिवर्तन/भिन्नता के परिलक्षित होने तथा अन्य वास्तविक तथ्य गोपन होने या अन्य अनियमितताओं के संज्ञानित होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रदत्त अनुमति निष्प्रभावी मानी जायेगी।


(दिव्या गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

पृ0सं0:-बेसिक/

/2025-26 तद दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र-पुवार्यो, शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।


PRINCIPAL
P.P.S.S SCHOOL
powayen - SPN

Self attest

बाल बालिका शिक्षा अधिकारी
शहजहाँपुर।

गंगा नदी

प्रत्यक्ष

पुर्वांचा पब्लिक स्कूल, पुर्वांचा
क्षेत्र - पुर्वांचा, जिल्हा - शाहू

पत्रांक - बालिका / मान्यता / 2084-87 / 2013-14

दिनांक - 30-6-13

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण - पत्र।

महोदय / महोदया,

शासनादेश संख्या-419/79-8-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुमान 8 लखनऊ दिनांक 8 मई 2013 के द्वारा आपके तारीख..... के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देशों में पुर्वांचा पब्लिक स्कूल, पुर्वांचा, शाहू..... को तारीख 01.07.2012 से तारीख 30-6-2013 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा NC से कक्षा 8 तक के लिए अनन्तित मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधधीन है :-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथावधि, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-हीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुरूप प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी रक्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशुल्कता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

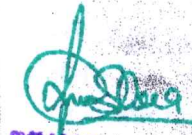
(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रावधानों पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

24

24



PRINCIPAL
P.P.S.S. SCHOOL
BOWAYEN - SPN



7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 कुल निर्मित क्षेत्र
 क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
 कक्षाओं की संख्या
 प्राध्यापक सह कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
 पेयजल सुविधा
 भिड़-डै-मील पकाने के लिए रसोई
 बाधारहित पहुँच
 अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जायेगे। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रतियाँ प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय में अग्निशमन यन्त्र एवं विद्यालय भवन मानक अनुसार होना चाहिए।

शिक्षा संहिता में उल्लिखित नियमों एवं विभागीय शासनादेशों में दिये गये आदेशों/निर्देशों का उल्लेखन करने पर तथा अभिलेखों आदि कोई तथ्य छिपाया/कूट रचित पाया गया तो उक्त विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

भवदीय

प्रोसो:-बेसिक/मान्यता/
प्रतिलिपि:-

/2013-14

तददिनांक।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर।

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शाहजहाँपुर।

Self attest
PRINCIPAL
P.P.S.S. SCHOOL
DOWRY - SPN